कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/रिव्यु डीपीसी–डीपीसी/2018–19/2018 दिनांक–07.06.18 के द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार सुमन का व्याख्याता हिन्दी के पद पर पदोन्नति उपरांत आयोजित काउन्सलिंग के द्वारा कार्मिक के द्वारा चयन किये गये राउमावि बेसवा सीकर में पदस्थापन किया गया । श्री सुमन द्वारा उक्त पदस्थापन आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका सं. 14635/2018 दायर की गई । श्री सुमन द्वारा याचिका मे कहा गया कि उनका पदस्थापन काउन्सलिंग के द्वारा किया गया परन्तु राउमावि वाहिदपुरा, झुंझुनूं में रिक्त पद को काउन्सलिंग में नहीं दिखाया गया अतः उन्हें गृह जिला झुंझुनूं छोडकर सीकर जिले में विकल्प देना पडा । मेरी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मुझे प्रतिदिन घर आना पडता है तथा आवागमन मे असुविधा का सामना करना पडता है। अतः मेरा पदस्थापन राउमावि वाहिदपुरा, झुंझुनूं में किया जाना चाहिए ।

माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक–13.07.18 के द्वारा याची को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किये गये।

माननीय न्यायालय निर्णय की पालना में याची द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गहनता से अध्ययन व मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर यह स्पष्ट है कि याची का पदस्थापन काउन्सलिंग द्वारा किया गया । याची को काउन्सलिंग वरीयता क्रमानुसार पदस्थापन स्थान के चयन का अवसर दिया गया तथा इसी क्रम में याची ने पदस्थापन स्थान का विकल्प दिया गया । यह आवश्यक नहीं है कि सभी रिक्त पदों को काउन्सलिंग में शामिल किया जावे । काउन्सलिंग के लिये रिक्त पदो का निर्धारण विभाग की प्राथमिकता एवं आवश्यकतानुसार किया जाता है, विभाग की प्राथमिकता प्रथम वरीयता है । व्याख्याता का पद राज्य सेवा का पद है किसी भी व्याख्याता का पदस्थापन राज्य में किसी भी स्थान पर किया जा सकता है ।

चूंकि याची का पदस्थापन उनकी सहमति के आधार पर किया गया है, अतः याची का अभ्यावेदन खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है । सभी सम्बन्धित पक्षकार सुचित हो ।

(नथमल डिडेल)
आईएएस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/कोके/या.सं. 14635/2018/नरेन्द्र कुमार सुमन दिनांक :– 1-8-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) चूरू
2 जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक सीकर–I/II
3 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि जयपुर
4 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बेसवा सीकर
5 श्री नरेन्द्र कुमार सुमन, व्या0 हिन्दी राउमावि बेसवा सीकर
6 अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा ।
7 निजी एवं रक्षित पत्रावली
8 अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर/कार्यालय हाजा

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर